



सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),  
उत्तराखण्ड, देहरादून



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

**Dedicated to Truth in Public Interest**

अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

2018-19



**उत्तराखण्ड सरकार**

## प्रस्तावना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के प्रस्तर 8.54 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा प्रकाशित की जाती है। इस समीक्षा का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों के लेखों के रख-रखाव में परिलक्षित महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को केन्द्रीयभूत करना है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा केन्द्रीय लेखा परीक्षा में पाई गई सामान्य प्रकार की अनियमितताएं, उत्तर न दिये गये लेखा परीक्षा टिप्पणियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों के ब्यौरे तथा लोक निर्माण/सिंचाई/लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों के स्थानीय निरीक्षण में पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं को भी सम्मिलित किया गया है। लेखा कर्मचारियों द्वारा मासिक लेखे तैयार करने में आवश्यक लेखा नियमों तथा प्रणालियों की पर्याप्त जानकारी के अभाव में लेखा या तो पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये जाते हैं या तैयार भी किये जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता स्तरीय नहीं होती है। लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों द्वारा लेखा संधारण में अभी भी सुधार की आवश्यकता हैं।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु-सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के लेखा अधिकारियों/कर्मचारियों को अनियमितताओं को सुधारने तथा नियमानुसार कार्य सम्पादन करने की दृष्टि से मार्ग दर्शन करने में उपयोगी सिद्ध होगा।

दिनांक:  
स्थान: देहरादून।

*सदीप सिंह*  
28/1/20

*सदीप सिंह*  
(सदीप सिंह)  
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

## महत्वपूर्ण बिन्दु

1. खण्डों द्वारा मासिक लेखे विलम्ब से कार्यालय महालेखाकार को प्रस्तुत किये गये (प्रस्तर-1)।
2. खण्डों द्वारा वर्ष 2018-19 के प्रपत्र-51 कार्यालय महालेखाकार को विलम्ब से प्रेषित किये गए (प्रस्तर-2)।
3. सिंचाई विभाग द्वारा जमा शीर्ष में प्रतिकूल अवशेष लम्बे समय से चले आ रहे हैं। प्रतिकूल जमा अवशेष के अविलम्ब निस्तारण हेतु शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है (प्रस्तर-3)।
4. नकद परिशोधन उचन्त लेखा (सी0एस0एस0ए0) एवं सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा (एम0पी0एस0एस0ए0) के अन्तर्गत विगत कई वर्षों से राशियां लम्बित हैं। धनराशियों के त्वरित समायोजन हेतु शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है (प्रस्तर-4, 5)
5. लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के निस्तारण न होने से गबन/कपट की सम्भावना रहती है (प्रस्तर-6)।
6. विगत वर्षों में लेखे से सम्बन्धित अनेकों अनियमितताओं को अवगत कराने के बावजूद भी उक्त अनियमितताएं इस वर्ष भी लेखे में पायी गयी है (प्रस्तर-7)।
7. प्रकीर्ण अग्रिम से सम्बन्धित अवशेष जो विगत अनेक वर्षों से लम्बित चले आ रहे हैं, के निस्तारण हेतु त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (प्रस्तर-8)।
8. लेखा परीक्षा कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं प्राप्त हुये, निरीक्षण के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण अनियमितताएं तथा केन्द्रीय लेखा परीक्षा के दौरान मासिक लेखाओं में पायी गयी अन्य अनियमितताय (द्वितीय भाग प्रस्तर-1 एवं 2)।

## संस्तुतियाँ

महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने वाले राज्य के वित्त एवं विनियोजन लेखों में अभियन्त्रण खण्डों के व्यय एवं प्राप्ति के यथार्थ एवं सही आंकड़े सम्मिलित होने चाहिए। इस दृष्टि से खण्डों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले संकलित मासिक लेखों की समीक्षा की जाती है और परिणामों से सम्बन्धित खण्डों को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में खण्डों के लेखों में सुधार एवं गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से राज्य शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा खण्डीय अधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेश अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जारी किये जाने चाहिए:-

1. कार्यालय महालेखाकार को अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि जिस माह का लेखा है उसके अगले माह की 07 से 10 तारीख के मध्य अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
2. प्रपत्र-51 मासिक लेखे के साथ प्रस्तुत करें।
3. लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों में लम्बित क्रेडिट एवं डेबिट धनराशियों का निस्तारण संबंधित कोषागारों से मिलान कर सुनिश्चित करें।
4. विविध लोक निर्माण अग्रिम (प्रकीर्ण अग्रिम) में लम्बित धनराशियों का निस्तारण सुनिश्चित करें तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में कोई भी अग्रिम असमायोजित नहीं रहना चाहिए।
5. नकद परिशोधन लेखों के अन्तर्गत लम्बित शेषों का निस्तारण सुनिश्चित करायें।
6. सामग्री क्रय परिशोधन लेखों के अन्तर्गत अनिस्तारित शेषों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
7. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जारी किए गये निरीक्षण प्रतिवेदनों को उत्तर जारी करने की तिथि से 6 माह के भीतर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

**अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली पर वर्ष 2018-19 की वार्षिक समीक्षा आख्या  
परिचयात्मक**

यह समीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन है। विभिन्न खण्डों के मासिक लेखों में हो रही निरन्तर व सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को इस समीक्षा आख्या में शामिल किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि इस समीक्षा आख्या में जो भी अनियमितताएं, कमियां एवं त्रुटियाँ शामिल की गयी हैं, वे विस्तृत नहीं बल्कि उदाहरण के रूप में हैं।

दिनांक 31-03-2019 को अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कुल संख्या-198 थी।  
विभाग वार खण्डों की संख्या निम्न है:-

क्रम संख्या	विभाग	खण्डों की संख्या
1.	लोक निर्माण	93
2.	सिंचाई	71
3.	लघु सिंचाई	13
4.	ग्रामीण निर्माण विभाग	21
योग		198

**संरचना**

समीक्षा आख्या दो भागों में निम्नवत् तैयार की गयी है:-

**प्रथम-भाग:** इस भाग में खण्डों से प्राप्त हुये मासिक लेखों की प्रारम्भिक जाँच एवं लेखों के संकलन के दौरान पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को सम्मिलित किया गया है।

**द्वितीय-भाग:** इस भाग में लेखा परीक्षा कार्यालय के केन्द्रीय लेखा परीक्षा एवं स्थानीय निरीक्षण के दौरान खण्डों के प्रारम्भिक लेखों के रख-रखाव में पायी गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं त्रुटियों को शामिल किया गया है।

**प्रथम-भाग**

**प्रस्तर 1: मासिक लेखों का विलम्ब से भेजा जाना:-**

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-758 के प्रावधानों के अन्तर्गत खण्डों के संकलित मासिक लेखे सभी प्रपत्रों सहित (केवल माह मार्च के लेखे को छोड़कर) अगले माह 7 से 10 तारीख के मध्य एवं मार्च माह के मासिक लेखे 15 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। यह प्रकाश में आया है कि कतिपय खण्डीय अधिकारियों द्वारा संकलित मासिक लेखे महालेखाकार कार्यालय में समय से प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। विगत पांच वर्षों में विलम्ब से प्राप्त होने वाले मासिक लेखों का सार निम्न तालिका में दिया गया है :-

**तालिका-1**

वर्ष	सिंचाई विभाग	लघु सिंचाई विभाग	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण निर्माण विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड			विलम्ब से प्राप्त लेखों का योग	कुल खण्ड	विलम्ब से प्राप्त लेखों का प्रतिशत
					सिंचाई (खण्ड)	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण निर्माण विभाग			
2018-19	141	29	268	43	64	62	16	623	198	26.22
2017-18	105	22	232	23	42	53	13	490	198	20.62
2016-17	130	28	234	47	64	36	15	554	199	23.19
2015-16	118	47	312	33	54	49	9	622	196	26.44
2014-15	136	39	318	44	61	43	11	652	190	28.59

विलम्ब से प्राप्त होने वाले मासिक लेखे वर्ष 2014-15 में लगभग 29 प्रतिशत थे। यद्यपि मासिक लेखों की प्रतिशतता में वर्षवार कमी जरूर आई है लेकिन वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी 26.22% मासिक लेखे विलम्ब से प्राप्त हुए हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से सुधार की आवश्यकता है।

वर्ष 2018-19 में विलम्ब से प्राप्त हुये मासिक लेखों की विभाग वार एवं माहवार स्थिति अनुलग्नक-1(अ) एवं अनुलग्नक-1(ब) में दी गई है।

शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्धारित दिनांक तक मासिक लेखों का प्रस्तुतीकरण करने की प्रक्रिया को त्वरित करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में शासन स्तर से कृत कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार को अवगत कराये।

**प्रस्तर-2: मासिक लेखों के साथ प्रपत्र-51 न भेजा जाना अथवा विलम्ब से भेजे जाने के कारण ब्रॉडशीट के रख-रखाव में व्यवधान उत्पन्न होना:-**

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 758 के प्रावधानों के अन्तर्गत खण्डीय अधिकारी प्रपत्र-51 शिड्यूल ऑफ सेटलमेंट विद् ट्रेजरीज, कोषाधिकारी द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र एवं संकलित ट्रेजरी रसीदों सहित, मासिक लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करेंगे। खण्डों से प्राप्त उक्त प्रपत्र के आधार पर मुख्य लेखाशीर्ष-8782 की ब्राडशीट को तैयार किए जाने का कार्य किया जाता है। कुछ खण्डों से प्राप्त प्रपत्र-51 अपूर्ण थे। बैंक से अनाहरित धनराशि तथा उससे सम्बन्धित चैक संख्याएं स्पष्ट नहीं की गई थी। प्रपत्र के भाग-1 तथा भाग-2 के अवशेषों का मिलान प्रपत्र में दिए गए मदवार विवरणों से न हो सका था जिस कारण ऐसे खण्डों का मुख्य लेखाशीर्ष 8782 के ब्रॉडशीट में अंकन नहीं हो सका। उल्लेखनीय है कि प्रपत्र-51 के अप्राप्त रहने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने के कारण इस कार्यालय द्वारा ब्रॉडशीट के समयबद्ध संकलन में व्यवधान उत्पन्न होता है तथा आंकड़ों की सत्यता प्रभावित होती है। वर्ष 2018-19 में अधिकांश खण्डों द्वारा फार्म-51 समय से प्रेषित नहीं किए गये। ऐसे प्रखण्डों जिनके द्वारा प्रपत्र-51 इस कार्यालय को विलम्ब से प्राप्त हुये हैं अनुलग्नक-2 में दिखाया गया।

**प्रस्तर-3: सिंचाई विभाग जमा में प्रतिकूल शेष:-**

लेखाशीर्ष 8443-सिविल जमा, 108-लोक निर्माण जमा के अन्तर्गत विभिन्न खण्डों में कुल रू.321.48 लाख का प्रतिकूल अवशेष था, इसका कारण ऋणात्मक अवशेष वाले खण्डों के विघटन के फलस्वरूप धनात्मक अवशेष वाले खण्डों में समायोजित किया जाना है, जबकि विभाजन से पूर्व से अवशेष अभी भी बंटवारे के अधीन हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है। उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष यह इंगित करता है कि खण्डों द्वारा बाह्य एजेंसियों के कार्य सम्पादन हेतु जमा की गयी धनराशि से अधिक व्यय कर दिया गया है जो कि संहिता एवं नियम पुस्तकों में उल्लिखित प्रावधानों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल शेष इस बात को

इंगित करता है कि शासन को देय धनराशि की वसूली बकाया है। शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रतिकूल शेष के निस्तारण हेतु नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है।

**प्रस्तर-4: लेखाशीर्ष-8658 उचन्त लेखे-107 नकद परिशोधन उचन्त लेखे के अन्तर्गत दीर्घ अवधि से रु. 268.35 लाख के लम्बित अवशेष:-**

अभियन्त्रण विभागों में शासनादेश संख्या-ए 2-1240/दस-95-17(6)/83 दिनांक 23-05-1995 द्वारा भण्डारों एवं सामग्रियों के क्रय हेतु दिनांक 01-07-1995 से 'कैश एण्ड कैरी' पद्धति लागू की गई थी। दिनांक 01-07-1995 से पूर्व अभियन्त्रण विभागों के विभिन्न खण्डों द्वारा समय-समय पर नकद परिशोधन उचन्त लेखा (सी0एस0एस0ए0) में धनराशि पुस्तांकित की जाती रही है। नियमानुसार प्रतिवादी खण्ड को नकद परिशोधन उचन्त लेखा में पुस्तांकित की गई धनराशि को मूल खण्ड से लेखा प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर निस्तारित किया जाना चाहिये था, जिससे कि उक्त शेष में कोई अवशेष अनिस्तारित न रहे। यह देखने में आया है कि कुछ खण्डों द्वारा उक्त शेष में विभिन्न खण्डों द्वारा नकद परिशोधन उचन्त लेखे में पुस्तांकित की गई धनराशि का निस्तारण न किये जाने के फलस्वरूप अभी भी रु. 268.35 लाख के अवशेष विभिन्न खण्डों के विरुद्ध राज्य विभाजन से पूर्व से चले आ रहे हैं। ऐसे अवशेषों का उल्लेख पूर्व के वर्षों में जारी वार्षिक समीक्षा आख्याओं में इस आशय से किया गया था कि शासन स्तर पर अवशेषों के निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, परन्तु अवशेषों का लम्बित रहना यह दर्शाता है कि शासन स्तर पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। जिन खण्डों के विरुद्ध अवशेष हैं उनका विवरण अनुलग्नक-4 में दिया गया है।

अतः शासन से अपेक्षा की जाती है कि लेखाशीर्ष 8658-उचन्त लेखे-107 नकद परिशोधन उचन्त लेखे में लम्बित धनराशि जो राज्य विभाजन से पूर्व से चली आ रही है, के निस्तारण के सम्बन्ध में नीति-निर्धारण कर निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें।

**प्रस्तर-5: सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखे के अन्तर्गत दीर्घ अवधि से रु. 280.72 लाख अनिस्तारित अवशेष:-**

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-763 के प्रावधानों के अनुसार खण्डों द्वारा उचन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित की गई धनराशि की वसूली अथवा

समायोजन, शीघ्र किया जाना चाहिए, जिसके लिए विशेष प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं। ऐसा प्रकाश में आया है कि कुछ खण्डों द्वारा उचन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित की गई धनराशि के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा (एम0पी0एस0एस0ए0) शीर्ष के अन्तर्गत जिन खण्डों के विरुद्ध रु. 280.72 लाख की राशि राज्य विभाजन से पूर्व से चली आ रही है अथवा असमायोजित पड़ी हुई है उनका खण्डवार विवरण अनुलग्नक-5 में दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त अवशेषों का विवरण इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनों में किया गया था परन्तु शासन स्तर पर अवशेषों के निस्तारण हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती है।

राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि खण्डीय अधिकारियों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-763 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाये तथा आवश्यकता अनुरूप निस्तारण की समुचित प्रणाली विकसित की जाये। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाए।

**प्रस्तर-6: लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों का समाधान न किया जाना:-**

लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के समाधान हेतु, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर 742 एवं 743 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 (भाग-2) के प्रस्तर 638(ख) तथा प्रस्तर 648 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोषागारों द्वारा खण्डीय अधिकारियों को प्रत्येक लेखा माह अनुगामी माह की चार तारीख तक, समेकित कोषागार रसीद (सी0टी0आर0) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (सी0टी0आई0) उपलब्ध कराया जाना चाहिये तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 (भाग 2) के प्रस्तर 650 के प्रावधानों के अनुरूप कोषाधिकारी द्वारा खण्डीय अधिकारियों से उनके समस्त प्रेषणों की मासिक समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस कार्यालय के अभिलेखानुसार दिनांक 31-03-2019 को प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत अभियन्त्रण सेवाओं के विभिन्न खण्डों के अनिस्तारित नकद प्रेषण का राशिवार विवरण अनुलग्नक-6 में दिया गया है जबकि चैकों से सम्बन्धित अनिस्तारित खण्डवार अवशेष धनराशियां अनुलग्नक-7 में दर्शायी गयी हैं। कोषागारों द्वारा

सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 के समुचित रख-रखाव के अभाव में उक्त धनराशियां अभी तक अनिस्तारित चली आ रही हैं।

उक्त अनिस्तारित राशियों का उल्लेख पूर्व के वर्षों में जारी समीक्षा प्रतिवेदनों में भी किया गया था, जिनके निस्तारण हेतु शासन व विभागाध्यक्षों के स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती।

यह उल्लेख करना अति महत्वपूर्ण है कि लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के निस्तारण न होने से गबन की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। अतः शासन के स्तर पर प्रत्येक माह की 4 तारीख तक समेकित कोषागार रसीद (सी0टी0आर0) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (सी0टी0आई0) खण्डों के खण्डीय अधिकारियों को प्रेषित करने हेतु सभी कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के खण्डीय अधिकारियों को भी उपरोक्त लेखाशीर्षों में अनिस्तारित अवशेषों के निस्तारण के लिये दिशा-निर्देश किये जाने की आवश्यकता है। दीर्घ अवधि से लम्बित अवशेषों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा समुचित नीति निर्धारित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-7: मासिक लेखों की प्रारम्भिक जांच के दौरान पायी गयी सामान्य त्रुटियां:-**

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 758 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस को भेजे गये मासिक लेखे सभी प्रकार से पूर्ण व सही होने चाहिए। यह देखा गया कि खण्डीय अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये गये मासिक लेखों में अनेकों प्रकार की विसंगतियाँ/कमियाँ पायी गयी जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:-

- i. प्रपत्र-80 की प्राप्ति एवं व्यय पक्षों की राशियों का मासिक लेखा के साथ संलग्न विभिन्न प्रपत्र जैसे-प्रपत्र-74, प्रपत्र-70, प्रपत्र-79 आदि की राशियों से मेल न होना।
- ii. प्रपत्र-80 में कैश बैलेन्स का प्रारम्भिक शेष पिछले माह के अन्तिम शेष से भिन्न होना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा नकदी के सत्यापन में समुचित सावधानी नहीं बरती जा रही है।
- iii. प्रपत्र-80 में प्राप्ति एवं व्यय पक्षों के योग में अन्तर पाया जाता है।
- iv. कतिपय लेखों के साथ फार्म (46A) प्राप्तियों का लेखा शीर्ष विवरण संलग्न नहीं किया जाता है।
- v. चालान लिस्ट के साथ चालान प्रति नहीं लगे होते हैं।

- vi. मासिक लेखों के साथ चालान द्वारा सीधे कोषागार में जमा किए गए राजस्व का विवरण संलग्न न होने के कारण इस कार्यालय के स्तर पर प्रेषण की राशि की सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। अतः राजस्व प्रेषण का विवरण व चालान की प्रतियाँ संलग्न की जानी अपेक्षित हैं।
- vii. कुछ प्रकरणों में व्यय की प्रकृति भारित/दत्तमत को न दर्शाया जाने के कारण त्रुटिपूर्ण लेखांकन की सम्भावना बनी रहती है।
- viii. अधिकांश प्रकरणों में प्रपत्र-64 (निर्माण खर्च का शिड्यूल) के प्रगामी व्यय एवं आबंटित बजट के स्तम्भों को न भरने के कारण भुगतान आधिक्य की सम्भावना बनी रहती है।
- ix. वी0एल0सी0 द्वारा आबंटित कम्प्यूटर कोड की सील को मासिक लेखे पर न लगाये जाने से खण्डों की पहचान में असुविधा होती है।
- x. संशोधन के लिये तैयार की गयी अंतरण प्रविष्टि पर संख्या व माह का न दर्शाया जाना निर्धारित नियमों की अवहेलना है, जिससे लेखे की सत्यता संदिग्ध रहती है।
- xi. लेखाशीर्षों के अन्तर्गत 15 अंकीय वर्गीकरण सही रूप से अंकित न होने के कारण प्रायः वर्गीकरण की त्रुटियाँ प्रदर्शित होती हैं। अतः 15 अंकीय वर्गीकरण अनिवार्यतः अंकित किया जाना अपेक्षित है।
- xii. मासिक लेखे के साथ प्रपत्र-67ए (शिड्यूल ऑफ एम0पी0एस0एस0ए0) का संलग्न न किये जाने से स्टॉक उचन्त का सही आंकलन नहीं हो पाता है।
- xiii. मासिक लेखे के साथ प्रपत्र-76 ए (शिड्यूल ऑफ सी0एस0एस0ए0) का संलग्न न किये जाने से लम्बित अवशेषों का सही आंकलन करने में असुविधा होती है।
- xiv. खण्डों द्वारा प्रायः बजट आबंटन की प्रत्याशा में व्यय कर दिया जाता है। बड़ी मात्रा में धनराशियों के व्यवर्तन के परिणामस्वरूप लेखांकन प्रक्रिया के मूल उद्देश्य हतोत्साहित होता है।

इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं/कमियों एवं विलम्बित प्रेषणों को संबन्धित खण्डों की जानकारी में समय-समय पर लाया गया है। शासन से अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में खण्डीय अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें तथा शासन स्तर से शुरु की गई सुधारात्मक पहलों से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को अवगत करायें।

**प्रस्तर-8: प्रकीर्ण अग्रिम मद में धनराशियाँ लम्बे समय से अनिस्तारित रहना:-**

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर-578 के अन्तर्गत प्रकीर्ण अग्रिम मद में वे ही धनराशियां दर्ज की जानी चाहिए जो उधार बिक्री, निक्षेप में प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय एवं हानियाँ, छटनी अथवा त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुयी हों तथा उनका निस्तारण समुचित अन्तिम शीर्ष को अन्तरण अथवा वसूली द्वारा यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। वसूली न होने योग्य राशियों को बट्टे खाते में डालने के प्रयास किये जाने चाहिए ।

विभिन्न निर्माण कार्य खण्डों के लेखाओं के अवलोकन पर पाया गया कि अभियन्त्रण विभागों के पुस्तकों में प्रकीर्ण अग्रिम मद में अत्यधिक धनराशियाँ लम्बे समय से अनिस्तारित चली आ रही हैं, जिन खण्डों के विरुद्ध अनिस्तारित अवशेष लम्बित हैं उनका विवरण अनुलग्नक-8 में दर्शाया गया है। अतः उक्त लम्बित अवशेषों के निस्तारण हेतु शासन एवं विभागीय स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

## द्वितीय-भाग.

**प्रस्तर-1:** निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर निर्धारित समय तक न दिया जाना:-

लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा जारी किये गये स्थानीय निरीक्षण प्रतिवेदनों के सभी प्रस्तरों का उत्तर/अनुपालन आख्या लेखा परीक्षा कार्यालय में प्रतिवेदनों के जारी करने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए।


यह देखने में आया है कि वर्ष 2018-19 में अनेक खण्डों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर अनेक माह व्यतीत हो जाने पर भी लेखा परीक्षा कार्यालय को नहीं भेजे गए हैं। इस प्रकार प्रतिवेदनों का अनुत्तरित रहना निरीक्षण के उद्देश्य को समाप्त कर देता है।

अभियंत्रण खण्डों की सूची, जिन्होंने निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम उत्तर निर्धारित समयान्तर्गत नहीं दिया है, अनुलग्नक-9 में दिया गया है।

**प्रस्तर-2:** स्थानीय निरीक्षण के दौरान पाई गयी महत्वपूर्ण अनियमितताएँ:-

अभियन्त्रण विभागों के स्थानीय निरीक्षण के दौरान अनेक प्रकार की अनियमितताएँ पाई गयीं। महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूची अनुलग्नक-10 में दी गयी है। निर्माण कार्य विभागों के मासिक लेखाओं के निरीक्षण में पाए गये भुगतान आधिक्य व अन्य अनियमितताओं का विवरण अनुलग्नक-11 में दिया गया है।

इन सभी प्रकरणों में वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।



उपमहालेखाकार/प्रशासन एवं लेखा

**अनुलग्नक-1(अ)**  
(प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)

विभाग एवं माहवार मासिक लेखे की स्थिति जिनके लेखे वर्ष 2018-19 में विलम्ब से प्राप्त हुए:-

माह	सिंचाई विभाग	लघु सिंचाई खण्ड	लोक निर्माण	ग्रामीण निर्माण विभाग	योग
अप्रैल-2018	13	00	24	04	41
मई-2018	17	02	32	06	57
जून-2018	12	00	38	05	55
जुलाई-2018	14	01	12	02	29
अगस्त-2018	19	01	17	05	42
सितम्बर-2018	15	02	26	06	49
अक्टूबर-2018	16	01	10	00	27
नवम्बर-2018	31	2	33	08	74
दिसम्बर-2018	15	06	37	06	64
जनवरी-2019	05	04	25	05	39
फरवरी-2019	19	03	36	09	67
मार्च-2019	29	07	40	03	79
<b>योग</b>	<b>205</b>	<b>29</b>	<b>330</b>	<b>59</b>	<b>623</b>

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)  
सिंचाई खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची  
अप्रैल-2018 से मार्च 2019  
प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र०स०	आई 0आ र० डी०	खण्ड का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019
1.	001	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा					13.09.18			11.12.18			12.03.19	
2.	002	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	15.05.18	15.06.18			12.09.18	15.10.18					12.03.19	
3.	003	लघु डाल खण्ड अल्मोड़ा								12.12.18				
4.	031	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर		12.06.18		16.08.18		11.10.18		12.12.18			12.03.19	
5.	045	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट, चम्पावत		12.06.18			12.09.18			11.12.18				18.04.19
6.	053	सिंचाई खण्ड, देहरादून							14.11.18					18.04.19
7.	056	अनुसंधान एवं अवस्थापना खण्ड, देहरादून												22.04.19
8.	061	सिंचाई खण्ड, विकासनगर, देहरादून									14.01.19			
9.	069	डाकपत्थर कालोनी एवं संचार खण्ड	16.05.18											18.04.19
10.	073	सिंचाई खण्ड रुड़की	11.5.18							11.12.18				
11.	126	सिंचाई खण्ड हरिद्वार												22.04.19
12.	127	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, ऋषिकेश, देहरादून												16.04.19
13.	129	नलकूप खण्ड रुड़की, हरिद्वार												16.04.19
14.	130	सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की	11.5.18		11.07.18	14.08.18	13.09.18			11.12.18				23.04.19
15.	131	परिकल्प खण्ड, रुड़की							16.11.18	17.12.18	14.01.19	13.02.19		29.04.19
16.	133	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुड़की												22.04.19
17.	135	सिंचाई खण्ड, सितारगंज						11.10.18		11.12.18		13.02.19	12.03.19	
18.	151	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी		12.06.18						12.12.18				

19.	153	जमरानी डैम निर्माण खण्ड-3, हल्द्वानी, नैनीताल							13.12.18	14.01.19				
20.	154	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल				14.08.18	13.09.18			11.12.18			23.04.19	
21.	155	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी								12.12.18				
22.	200	सिंचाई निर्माण खण्ड, पिथौरागढ़			12.07.18				15.11.18	11.12.18	14.01.19			
23.	230	सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग		12.06.18	11.07.18									
24.	240	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी				20.8.18			15.11.18				18.04.19	
25.	241	अवस्थापना/पुर्नवास खण्ड, नई टिहरी					13.09.18		14.11.18	12.12.18			23.04.19	
26.	242	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर												
27.	250	सिंचाई खण्ड, काशीपुर, उधमसिंह नगर								12.12.18			23.04.19	
28.	251	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर								12.12.18				
29.	260	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी										15.03.19	22.04.18	
30.	261	सिंचाई खण्ड, पुरोला, उत्तरकाशी											22.04.18	
31.	262	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, जोशियाडा, उत्तरकाशी	15.05.18		13.07.18	16.04.18	13.09.18		16.11.18	11.12.18	14.01.19		13.03.19	
32.	266	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी						11.10.18					12.03.19	
33.	272	सिंचाई खण्ड, धारचुला पिथौरागढ़	22.05.18	14.06.18	13.07.18		17.09.18	12.10.18	11.11.18	18.12.18	15.01.19	19.02.19	12.03.19	25.04.19
34.	273	सिंचाई खण्ड, कपकोट	22.05.18		13.07.18	14.08.18	12.09.18	15.10.18	15.11.18	11.12.18	18.01.19		15.03.19	24.04.19
35.	274	सिंचाई खण्ड, थराली, चमोली								11.12.18				22.04.19
36.	276	प्रशिक्षण परियोजना कुमाऊ, रूड़की					12.09.18						12.03.19	16.04.19
37.	331	( सिंचाई खण्ड, लोनिवि (पीएमजीएसवाई), अल्मोडा			12.07.18			15.10.18		12.12.18	14.01.19			

38.	333	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) बागेश्वर		12.06.18					11.12.18			12.03.19	
39.	334	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) नैनीताल	14.05.18				12.10.18	19.11.18					
40.	335	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), चम्पावत		12.06.18	11.07.18		12.09.18		11.12.18				
41.	336	सिंचाई खण्ड (पी.एम.जी. एस.वाई.), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल		20.06.18									
42.	337	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) कोटद्वार		20.06.18		14.08.18		15.10.18	11.12.18	14.01.19		12.03.19	
43.	338	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) पिथौरागढ़				14.08.18	14.09.18	15.10.18					
44.	339	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) रुद्रप्रयाग,	21.05.18	12.06.18				19.11.18	12.12.19				
45.	341	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) टिहरी		19.06.18		13.08.18	18.09.18	15.10.18	15.11.18	14.12.19	15.01.19	15.03.19	
46.	342	सिंचाई खण्ड-2, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) टिहरी		19.06.18		20.08.18	13.09.18	15.10.18	15.11.18				
47.	343	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) उत्तरकाशी			13.07.18	16.08.18	13.09.18		15.11.18	11.12.18	14.01.19	12.03.19	
48.	349	सिंचाई खण्ड (पी.एम.जी. एस.वाई.) बैजरो पौड़ी गढ़वाल			17.07.18		18.09.18		20.11.18		14.01.19		23.04.19
49.	350	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) पुरौला		15.06.18				11.10.18		17.12.18	12.01.19	13.02.19	22.04.18

50.	353	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट (पीएमजीएसवाई0)	15.05.18	12.06.18				11.10.18				15.02.19	12.03.19	16.04.19
51.	355	लघु डाल खण्ड, पिथौरागढ़								11.12.18	14.01.19		12.03.19	22.04.19
52.	356	लघुडाल खण्ड, उत्तरकाशी				14.08.18			15.11.18	17.12.18			15.03.19	22.04.19
53.	357	लघुडाल खण्ड, श्रीनगर					13.09.18			11.12.18	14.01.19			
54.	358	नलकूप खण्ड, टनकपुर	17.05.18				12.09.18	15.10.18	15.11.18				12.03.19	22.04.19
55.	359	नलकूप खण्ड, हरिद्वार												22.04.19
56.	360	जल विज्ञान खण्ड	16.05.18	14.06.18	13.07.18	16.08.18								22.04.19
57.	361	अवस्थापना पुनर्वास खण्ड	16.05.18	15.06.18	17.07.18	16.08.18	18.09.18						18.03.19	26.04.19

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)  
लघु सिंचाई खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची  
अप्रैल-2018 से मार्च 2019  
प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र०स०		खण्ड का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019
1.	100	लघु सिंचाई खण्ड तपोवन रोड, निकट ब्लॉक आफिस, रायपुर, देहरादून										18.02.19	15.03.19	24.04.19
2.	101	लघु सिंचाई खण्ड, हरिद्वार												22.04.19
3.	200	लघु सिंचाई खण्ड, नैनीताल									14.01.19		12.03.19	18.04.19
4.	300	लघु सिंचाई खण्ड, पौड़ी									14.01.19			18.04.19
5.	301	लघु सिंचाई खण्ड, गोपेश्वर, चमोली												22.04.19
6.	400	लघु सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग									14.01.19	12.02.19		
7.	401	लघु सिंचाई खण्ड, बागेश्वर		13.06.18				11.10.18			14.01.19	12.02.19		
8.	500	लघु सिंचाई खण्ड, टिहरी												18.04.19
9.	600	लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़				14.08.18		11.10.18	16.11.18	11.12.18	14.01.19			
10.	601	लघु सिंचाई खण्ड, उधमसिंह नगर								11.12.18				
11.	700	लघु सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा		12.06.18			18.09.18				14.01.19	13.02.19	12.03.19	18.04.19

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)  
लोक निर्माण खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची  
अप्रैल-2018 से मार्च 2019  
प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र०स०	कोड	खण्ड का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019
1.	001	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा		13.06.18	13.07.18					11.12.18			12.03.19	22.04.19
2.	002	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा			11.07.18									18.04.19
3.	003	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत			13.07.18					11.12.18		14.02.19	12.03.19	18.04.19
4.	004	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत		12.06.18						11.12.18		13.02.19	12.03.19	
5.	016	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर						11.10.18						22.04.19
6.	027	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग	14.05.18	18.06.18	12.07.18	16.08.18			19.11.18	13.12.18	15.01.19	14.02.19	12.03.19	30.04.19
7.	028	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ								11.12.18				
8.	029	अस्थाई विद्युत यांत्रिक खण्ड, गोपेश्वर		12.06.18	11.07.18						15.01.19		12.03.19	
9.	030	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० थराली			16.07.18						15.01.19	12.02.19		18.04.19
10.	031	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, गौचर		12.05.18							15.01.19	14.02.19		18.04.19
11.	045	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत												
12.	046	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट		12.06.18		14.08.18	12.09.18	15.10.18		17.12.18	15.01.19		12.03.19	18.04.19
13.	051	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून												22.04.19
14.	052	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० सैहिया						11.10.18	14.11.18		15.01.19		12.03.19	
15.	053	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता							15.11.18		15.01.19			
16.	055	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० डोईवाला							15.11.18	18.12.18				

17.	056	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी, चमोली		19.06.18	12.07.18							14.02.19	14.03.19	
18.	057	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर हरिद्वार			11.07.18									22.04.19
19.	071	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार												22.04.19
20.	072	वि0 एवं यां खण्ड लो0 नि0 वि0 ऋषिकेश												16.04.19
21.	073	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश												16.04.19
22.	075	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 रुडकी							14.12.18			12.02.19	14.03.19	
23.	091	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल						11.10.18					13.03.19	22.04.19
24.	092	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल			13.07.18									18.04.19
25.	093	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर						13.09.18						
26.	094	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा			11.07.18									22.04.19
27.	095	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर	18.05.18	14.06.18	13.07.18		12.09.18	12.10.18		13.12.18	15.01.19		12.03.19	
28.	096	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी			11.07.18						15.01.19			
29.	098	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी										13.02.19		
30.	100	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी			11.07.18					11.12.18				
31.	120	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी	11.05.18	12.06.18	11.07.18					11.12.18			12.03.19	
32.	121	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाऊन	11.05.18					13.09.18		11.12.18				16.04.19
33.	122	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 दुगड्डा												
34.	123	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी											12.03.19	
35.	124	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर			11.07.18				11.10.18					
36.	125	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजराँ		13.06.18	12.07.18									
37.	126	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर		15.06.18						13.12.18	15.01.19	13.02.19	13.03.19	

38.	140	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़		12.06.18				11.10.18		11.12.18	15.01.19		18.04.19
39.	141	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, डीडीहाट	11.05.18	15.06.18	11.07.18			15.10.18		11.12.18	15.01.19		12.03.19
40.	142	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट	14.05.18	12.05.18	11.07.18					13.12.18	18.01.19		12.03.19
41.	143	विधुत यांत्रिक खण्ड, पिथौरागढ़		14.06.18	11.07.18			11.10.18		13.12.18	15.01.19		
42.	144	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग		18.06.18	11.07.18			15.10.18		11.12.18	15.01.19	13.02.19	12.03.19
43.	170	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी			11.07.18			11.10.18		11.12.18	15.01.19		22.04.19
44.	171	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी		12.06.18	16.07.18					11.12.18	15.01.19		18.04.19
45.	172	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा	15.05.18				12.09.18				15.01.19		
46.	173	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर											18.04.19
47.	174	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, घनसाली	14.05.18		11.07.18							15.02.19	12.03.19
48.	175	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड											22.04.19
49.	200	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग	14.05.18	12.06.18				11.10.18					18.04.19
50.	202	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गुप्तकाशी			11.07.18	13.08.18	11.09.18	15.10.18			15.01.19	12.02.19	
51.	210	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	11.05.18					11.10.18		11.12.18	15.01.19		16.04.19
52.	211	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी	11.05.18										
53.	213	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला	14.05.18		11.07.18								22.04.19
54.	216	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी				14.08.18							16.04.19
55.	217	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट											18.04.19
56.	219	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0 देहरादून									15.01.19	13.02.19	18.04.19
57.	221	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट			11.07.18								12.03.19
58.	222	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट		12.06.18	11.07.18			15.10.18		11.12.18	15.01.19	14.02.19	12.03.19

59.	223	निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, नैनीताल		19.06.18								12.03.19	22.04.19	
60.	224	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट			11.07.18	14.08.18	11.09.18	12.10.18		11.12.18			24.04.19	
61.	225	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धूमाकोट	14.05.18											
62.	226	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, गौचर		19.06.18							15.01.19	12.03.19		
63.	227	वि0 एवं यां खण्ड लो0 नि0 वि0 बाजपुर		19.06.18				15.10.18		13.12.18	15.01.19			
64.	228	निर्माण खण्ड, लो0 नि0वि0 अल्मोडा										14.02.19		
65.	229	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, पौडी				14.08.18								
66.	230	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, टिहरी			11.07.18			12.10.18		12.12.18	15.01.19		15.03.19	29.04.19
67.	231	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, पिथौरागढ़	15.05.18			14.08.18	13.09.18	12.10.18		11.12.18	15.01.19	13.02.19	12.03.19	
68.	232	निर्माण खण्ड-2 (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, दुगड्डा	11.05.18								15.01.19		12.03.19	
69.	233	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, रुद्रपुर			13.07.18	13.08.18		15.10.18		11.12.18		13.02.19		22.04.19
70.	234	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	11.05.18	12.06.18								12.02.19	12.03.19	
71.	235	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, बागेश्वर		12.06.18						11.12.18	15.01.19		12.03.19	
72.	236	विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून												22.04.19
73.	237	वि0/यां खण्ड, लो0 नि0 वि0 भीमताल			13.07.18			15.10.18		11.12.18				22.04.19
74.	238	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0 नि0 वि0, रानीखेत		12.06.18		14.08.18							14.03.19	
75.	239	अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0 गुप्तकाशी					13.09.18	15.10.18			15.01.19	12.02.19		
76.	240	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पावौ		12.06.18			17.09.18			11.12.18		13.02.19		
77.	241	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर									15.01.19			
78.	243	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गैरसेण	14.05.18				11.09.18					14.02.19	12.03.19	

79.	332	निर्माण खण्ड (पीएमजीएसवाई), लोनिवि, पोखरी	16.05.18	21.06.18			17.09.18		16.11.18		15.01.19		14.03.19	
80.	340	निर्माण खण्ड (पीएमजीएसवाई), लोनिवि, सल्ट	15.05.18		16.07.18	21.08.18	18.09.18			11.12.18			13.03.19	23.04.19
81.	344	निर्माण खण्ड (पीएमजीएसवाई), लोनिवि, अल्मोड़ा	17.05.18	12.06.18	13.07.18			12.10.18	15.11.18		18.01.19	13.02.19	15.03.19	22.04.19
82.	345	निर्माण खण्ड पीएमजीएसवाई, लोनिवि, पिथौरागढ़	18.05.18		11.07.18			12.10.18			18.01.19			
83.	346	निर्माण खण्ड पीएमजीएसवाई, लोनिवि,		12.06.18	12.07.18		12.09.18		20.11.18	13.12.18	21.01.19	13.02.19	19.03.19	
84.	347	पीएमजीएसवाई, लोनिवि, सतपुली, कोटद्वार	23.05.18	14.06.18				12.10.18	16.11.18			18.02.19		
85.	348	पीएमजीएसवाई, लोनिवि, नरेन्द्र नगर			13.07.18	14.08.18	13.09.18				18.01.19		15.03.19	
86.	355	पीएमजीएसवाई, लोनिवि, कीर्तिनगर	23.05.18	15.06.18	11.07.18		17.09.18	12.10.18	15.11.18	13.12.18	15.01.19	13.02.19	19.03.19	
87.	357	पीएमजीएसवाई, पीआईओ, लोनिवि, कर्णप्रयाग	22.05.18	20.06.18	11.07.18	14.08.18	17.09.18		15.11.18		15.01.19		15.03.19	

**ग्रामीण अभियंत्रण सेवा**

1.	010	ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा											12.03.19	
2.	020	ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर		12.06.18				11.10.18		11.12.18			12.03.19	
3.	030	ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली	14.05.18							11.12.18			12.03.19	22.04.19
4.	040	ग्रामीण निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग			11.07.18			11.10.18						
5.	050	ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून									15.01.19			
6.	070	ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल								11.12.18		15.02.19		
7.	090	ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी		12.06.18									12.03.19	
8.	100	ग्रामीण निर्माण विभाग, चम्पावत					13.09.18			11.12.18	15.01.19	12.02.19		
9.	110	ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़		12.06.18	11.07.18	14.08.18	13.09.18	11.10.18		11.12.18		13.02.19	12.03.19	

10.	130	ग्रामीण निर्माण विभाग, टिहरी									15.01.19			
11.	150	ग्रामीण निर्माण विभाग, उद्यमसिंहनगर												18.04.19
12.	190	ग्रामीण निर्माण विभाग, घनसाली	11.05.18											
13.	180	ग्रामीण निर्माण विभाग, कोटद्वार												16.04.19
14.	200	ग्रामीण निर्माण विभाग, (अस्थाई), डीडीहाट		14.06.18	11.07.18		12.09.18	11.10.18		11.12.18	18.01.19	13.02.19	13.03.19	
15.	210	ग्रामीण निर्माण विभाग, (अस्थाई), भिकियासैण्ड						15.10.18			15.01.19		13.03.19	
16.	230	ग्रामीण निर्माण विभाग, (पी0आई0यू0-2, पी0एम0जी0एस0वाई), डीडीहाट	11.05.18	14.06.18	16.07.18	14.08.18	12.09.18			11.12.18	17.01.19	13.02.19	13.03.19	
17.	240	ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0आई0यू0-2, पी0एम0जी0एस0वाई), कपकोट	11.05.18	15.06.18	11.07.18		17.09.18	15.10.18		17.12.18			15.03.19	

**अनुलग्नक-2**  
(प्रस्तर-2 के सन्दर्भ में)

प्रखण्ड जिनके प्रपत्र-51 इस कार्यालय को विलम्ब से प्राप्त हुए:-

क्रम सं०	खण्ड का नाम	माह जिनके प्रपत्र-51 विलम्ब से प्राप्त हुए
1.	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड नई टिहरी	7 / 2014 से 3 / 2016 तथा 4 / 2018 से 2 / 2019
2.	लघु सिंचाई खण्ड, भीमताल, नैनीताल	9 / 2017 से 8 / 2018
3.	लघु सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	4 / 2016 से 08 / 2018
4.	लघु सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	4 / 2015 से 8 / 2018
5.	सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०, बागेश्वर	4 / 2016 से 7 / 2018
6.	सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०, नैनीताल	8 / 2016 से 7 / 2018
7.	सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तरकाशी	12 / 2014 से 7 / 2018
8.	सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०, पुरोला, उत्तरकाशी	08 / 2013 से 7 / 2018
9.	सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०, देहरादून	2 / 2016 से 7 / 2018
10.	सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०, लोहाघाट, चम्पावत	2 / 2016 से 7 / 2018
11.	नलकूप खण्ड, टनकपुर	01 / 2018 से 7 / 2018
12.	अवस्थापना पुर्नवास खण्ड, चिन्यालिसौड, उत्तरकाशी	4 / 2017 से 7 / 2018
13.	नलकूप खण्ड, रूडकी, हरिद्वार	2 / 2018 से 6 / 2018
14.	सिंचाई कार्याशाला खण्ड, रूडकी	11 / 2017 से 6 / 2018
15.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	3 / 2018 से 6 / 2018
16.	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, जोशियारा, उत्तरकाशी	9 / 2013 से 6 / 2018
17.	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	10 / 2016 से 6 / 2018
18.	सिंचाई खण्ड, धारचूला	1 / 2018 से 6 / 2018
19.	प्रशिक्षण/परियोजना कुमायू, रूडकी	10 / 2016 से 6 / 2018
20.	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	6 / 2017 से 6 / 2018
21.	सिंचाई खण्ड, रानीखेत, अल्मोड़ा	12 / 2017 से 6 / 2018
22.	सिंचाई खण्ड विकासनगर, देहरादून	02 / 2018 से 6 / 2018
23.	डाकपत्थर कॉलोनी एवं संचार खण्ड, डाकपत्थर, देहरादून	11 / 2017 से 6 / 2018
24.	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, ऋषिकेश, देहरादून	8 / 2017 व 11 / 2017 व 2 / 2018
25.	सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूडकी	05 / 2016 से 6 / 2018

26.	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड नई टिहरी	7 / 2014 से 3 / 2018
27.	ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़	04 / 2016 से 07 / 2017
28.	ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल	06 / 2016 से 07 / 2017
29.	ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार	01 / 2018, 02 / 2018
30.	ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून	08 / 2016 से 2017 तक
31.	वि० एवं या० लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर	04 / 2018 एवं 10 / 2018
32.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर	02 / 2016 से 04 / 2016
33.	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट	9 / 2018 एवं 12 / 2018
34.	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया, कालसी	07 / 2018 एवं 12 / 2018
35.	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, पौड़ी	12 / 2017
36.	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाउन	05 / 2018 से 12 / 2018
37.	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, धुमाकोट, पौड़ी	05 / 2017 से 08 / 2017 9 / 2018 से 12 / 2018
38.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर	03 / 2017 से 05 / 2017
39.	ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल भिकियासैण	02 / 2017 से 06 / 2017
40.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला	7 / 2016 से 03 / 2017
41.	ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	04 / 2017 से 08 / 2017
42.	निर्माण खण्ड, (ए०डी०बी०) लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर	04 / 2017 से 06 / 2017, 11 / 2017
43.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	04 / 2017 से 07 / 2017
44.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल	02 / 2017, 04 / 2017 एवं 06 / 2017
45.	ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०) डीडीहाट, पिथौरागढ़	02 / 2017 से 08 / 2017
46.	ग्रामीण निर्माण विभाग डीडीहाट, पिथौरागढ़	05 / 2016
47.	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर	04 / 2017, 02 / 2018
48.	ग्रामीण निर्माण विभाग चम्पावत	02 / 2017 से 07 / 2017
49.	ग्रामीण निर्माण विभाग चमोली	08 / 2016 से 10 / 2016, 01 / 2017, 06 / 2017
50.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट	02 / 2017 एवं 07 / 2017
51.	ग्रामीण निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग	03 / 2016 से 07 / 2017 एवं 5 / 2018
52.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट	
53.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,	10 / 2016, एवं 01 / 17 08 / 17

	(पी0एम0जी0एस0वाई0) कालसी	एवं 11 / 2017
54.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, (पी0एम0जी0एस0वाई0) काठगोदाम	02 / 17, 04 / 17 एवं 12 / 2017
55.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग	03 / 2017, 05 / 2017 9 / 2017, 11 / 2017, 01 / 2018
56.	ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर	09 / 2017
57.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा, टिहरी	7 / 2016 से 07 / 2017, 12 / 2017
58.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर	08 / 2017
59.	ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार	12 / 2016
60.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, (पी0एम0जी0एस0वाई0) पोखरी	07 / 2015 से 03 / 2018 तक
61.	वि0 एवं यां0 लोक निर्माण विभाग, देहरादून	02 / 2018
62.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला	05 / 2017, 01, 02 / 2018
63.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट	02 / 2018 एवं 03 / 2018
64.	अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, घनसाली	01 / 2017
65.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा	07 / 2016 से 01 / 2018, 03 / 2018
66.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर	10 / 2017, 12 / 2017
67.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार	06 / 2016 से 03 / 2018

**अनुलग्नक-3**  
(प्रस्तर-3 के सन्दर्भ में)

2018-19 के अंत में सिंचाई खण्डों के जमा के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष।

क्रमांक	वी0एल0सी0 कोड	खण्ड का नाम	अवशेष (धनराशि रू. में)
1.	069	डाकपत्थर कालोनी एवं संचार खण्ड, देहरादून	-22991320.71
2.	129	नलकूप खण्ड, रुड़की	-316456.00
3.	133	सिंचाई कार्यशाला खण्ड रुड़की	-7353646.15
4.	272	सिंचाई खण्ड धारचूला	-865747.00
5.	276	प्रशिक्षण / परियोजना कुमायूँ रुड़की	-621004.00
<b>योग</b>			<b>-32148173.86</b>

**अनुलग्नक-4**  
(प्रस्तर-4 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के समाप्ति पर नकद परिशोधन उच्चत लेखे में बड़ी मात्रा में लम्बित धनराशियों का खण्डवार विवरण:-

क्रम सं०	खण्ड का नाम	धनराशि रू. में
1.	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ	75487.62
2.	प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल	4650739.87
3.	निर्माण खण्ड, नैनीताल	163618.41
4.	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली	7352.70
5.	विद्युत एवं यांत्रिकी खण्ड, पिथौरागढ़	1071800.20
6.	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल	1515872.00
7.	कार्यशाला खण्ड कालागढ (closed)	5686536.00
8.	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	2541214.35
9.	मनेरीभाली निर्माण खण्ड-1, जोशीयाडा, उत्तरकाशी(closed)	489437.70
10.	नलकूप खण्ड, देहरादून	8585201.75
11.	लखवाड़बांध निर्माण खण्ड-4, डाकपत्थर, देहरादून(closed)	31852.26
12.	निर्माण खण्ड-1 ढालीपुर, देहरादून(closed)	619770.00
13.	सुरंग विद्युत गरू.ह निर्माण खण्ड-1, डाकपत्थर, देहरादून (closed)	327370.43
14.	सुरंग विद्युत गरू.ह निर्माण खण्ड-2, डाकपत्थर, देहरादून (closed)	22071.19
15.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	296560.72
16.	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	750610.22
<b>योग</b>		<b>26835495.42</b>

**अनुलग्नक-5**  
(प्रस्तर-5 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के समाप्ति पर सामग्री क्रय परिशोधन उच्चत लेखे में बड़ी मात्रा में लम्बित धनराशियों का खण्ड वार विवरण:-

क्रम सं०	खण्ड का नाम	धनराशि रु. में
1.	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	199492.00
2.	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ	33300.00
3.	प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल	459000.00
4.	निर्माण खण्ड, रामनगर	382572.00
5.	जमरानी बांध निर्माण खण्ड-3, हल्द्वानी	18849.00
6.	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल	856098.15
7.	मनेरी भाली निर्माण खण्ड-2, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी (closed)	311052.42
8.	मनेरीभाली निर्माण खण्ड-1, जोशियाड़ा , उत्तरकाशी (closed)	742568.80
9.	लखवाड़ बांध निर्माण खण्ड-3, डाकपत्थर, देहरादून(closed)	18435.00
10.	लखवाड़ बांध निर्माण खण्ड-2, डाकपत्थर, देहरादून(closed)	33205.00
11.	लखवाड़ बांध निर्माण खण्ड-4, डाकपत्थर, देहरादून(closed)	136730.41
12.	यांत्रिकी एवं यन्त्र भण्डार खण्ड-1, देहरादून (closed)	23848095.00
13.	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, ऋषिकेश(closed)	696554.00
14.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	91933.00
15.	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	68822.00
16.	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा खण्ड, चमोली	175932.00
<b>योग</b>		<b>28072638.78</b>

अनुलग्नक-6  
(प्रस्तर-6 के सन्दर्भ में)

निर्माण खण्डों से प्राप्त प्रपत्र-51 के भाग-1 में अनिस्तारित रोकड़ (Cash) की सूची:-

चालानों की संख्या	अवधि	कुल धनराशि (रु.)
<b>अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सैङ्गया कालसी</b>		
29	नवम्बर 2007 से मार्च 2019	-171954.00
<b>निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर</b>		
03	दिसम्बर 2012 से जुलाई 2016	3465434.00
<b>निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा</b>		
02	दिसम्बर 2014 से जुलाई-2016 तक	4884100.00
<b>अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर</b>		
09	जनवरी 2007 से नवम्बर 2018 तक	4515678.00
<b>निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट</b>		
26	अप्रैल-2008 से सितम्बर-2013 तक	27627022.00
<b>प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग</b>		
04	जनवरी 2001से मई 2013 तक	1192180.00
<b>निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा</b>		
07	दिसम्बर-2015 से दिसम्बर-2018 तक	-4819740.00
<b>प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर</b>		
14	अगस्त-2001 से फरवरी-2018 तक	-8601651.00
<b>निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, पौडी</b>		
17	फरवरी-2016 से दिसम्बर-2018 तक	-668.00
<b>विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून</b>		
09	मार्च-2014 से मार्च-2019 तक	1661980.00
<b>विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भीमताल</b>		
04	अप्रैल-2018 से मार्च-2019 तक	-688895.00
<b>राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर</b>		
01	मार्च-2019	8850.00
<b>ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली</b>		
21	जुलाई-2003 से मार्च-2019 तक	-12903215.00

**अनुलग्नक-7**  
**(प्रस्तर-6 के सन्दर्भ में)**

निर्माण खण्डों से प्राप्त प्रपत्र-51 के भाग-2 में अनिस्तारित चैकों (Cheque) की सूची:-

चैकों की संख्या	अवधि	कुल धनराशि (रु.)
<b>निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर</b>		
12	जून-2006 से जून-2016 तक	185470.00
<b>निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा</b>		
11	मार्च-2003 से फरवरी-2015 तक	-53066.00
<b>अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर</b>		
04	फरवरी-2008 से मार्च-2017 तक	10168.00
<b>निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट</b>		
25	जनवरी-2003 से मार्च 2014 तक	1556508.00
<b>प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग</b>		
07	मार्च-2009 से फरवरी-2013	69761.00
<b>निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा</b>		
06	नवम्बर-2011 से मार्च-2017 तक	13101.00
<b>प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर</b>		
17	अक्टूबर-2007 से मई-2017 तक	22417.00
<b>राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट</b>		
05	अगस्त-2008 से अक्टूबर-2013 तक	35742.00
<b>निर्माण खण्ड-2 (ए0डी0बी0), लो0नि0वि,, अल्मोड़ा</b>		
01	मार्च-2013	10000.00
<b>निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, पौडी</b>		
02	मार्च-2014 से मई-2017 तक	28461.00
<b>विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून</b>		
10	जून-2013 से सितम्बर- 2016	80853.00
<b>ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर</b>		
03	जनवरी-2007 से नवम्बर-2014 तक	5707.00
<b>ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली</b>		
01	अक्टूबर-2001	9447.00

**अनुलग्नक-8**  
(प्रस्तर-8, भाग-1 के सम्बन्ध में)

31 मार्च 2019 के विभिन्न प्रखण्डों के विरुद्ध लम्बित प्रकीर्ण अग्रिम जिनका निस्तारण किया जाना है:-

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	धनराशि (रु. में)
1.	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	924963.00
2.	सिंचाई खण्ड, रानीखेत, अल्मोड़ा	469758.00
3.	लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा	62955.00
4.	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	616647.00
5.	सिंचाई खण्ड, चमोली	237713.28
6.	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट, चम्पावत	204054.00
7.	सिंचाई खण्ड, देहरादून	1239417.00
8.	सिंचाई खण्ड, (अम्बाड़ी) कालसी, देहरादून	4974936.76
9.	नलकूप खण्ड, देहरादून	3874518.00
10.	अनुसंधान एवं अवस्थापना खण्ड, देहरादून	34490027.00
11.	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	71883794.76
12.	परियोजना खण्ड, देहरादून	1268744.95
13.	डाकपत्थर कालोनी एवं संचार खण्ड, डाकपत्थर, देहरादून	5587357.94
14.	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	762014.00
15.	अवस्थापना(पुनर्वास) खण्ड, ऋषिकेश	16692080.00
16.	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश, हरिद्वार	2241928772.00
17.	नलकूप खण्ड, रुड़की	83687.70
18.	सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की	721300.60
19.	परिकल्प खण्ड, रुड़की	116817.00
20.	स्थापना खण्ड, रुड़की	5533975.00
21.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुड़की	8248293.51
22.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	2469400.69
23.	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)	4379649.69
24.	जमरानी बांध निर्माण खण्ड-3, हल्द्वानी (नैनीताल)	637749.94
25.	सिंचाई खण्ड, रामनगर (नैनीताल)	169762.85
26.	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	39423.00
27.	सिंचाई खण्ड, दुगडडा (पौड़ी गढ़वाल)	1972818.00
28.	सिंचाई निर्माण खण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल)	136891.00
29.	नलकूप खण्ड, बाजपुर	242756.55
30.	सिंचाई निर्माण खण्ड, पिथौरागढ़	391963.00
31.	सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	406910.64

32.	सिंचाई खण्ड नई टिहरी	397690.00
33.	अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, नई टिहरी	3133000.00
34.	सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)	676620.88
35.	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	556721.00
36.	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	308781.86
37.	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	11489.00
38.	सिंचाई खण्ड, पुरौला, उत्तरकाशी	7941389.00
39.	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	8370589.50
40.	सिंचाई खण्ड, धारचूला	141639.00
41.	सिंचाई खण्ड, कपकोट	900.00
42.	सिंचाई खण्ड, थराली	1435178.00
43.	नलकूप खण्ड, टनकपुर	1351.00
44.	लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून	36351.00
45.	लघु सिंचाई खण्ड, भीमताल, नैनीताल	749207.65
46.	लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	2166407.00
47.	लघु सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	330499.00
48.	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा	13135397.76
49.	निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा	1991741.00
50.	निर्माण खण्ड, रानीखेत	6630604.36
51.	प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत	5685670.00
52.	प्रान्तीय खण्ड, बागेश्वर	9881572.00
53.	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	4996659.31
54.	प्रान्तीय खण्ड, कर्णप्रयाग	8086061.00
55.	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ	3295190.83
56.	अस्थाई विद्युत/यांत्रिक खण्ड, गोपेश्वर	398565.00
57.	अस्थाई खण्ड, थराली	18008656.00
58.	अस्थाई खण्ड, गौचर	1227129.00
59.	प्रान्तीय खण्ड, चम्पावत	1096757.00
60.	निर्माण खण्ड, लोहाघाट	5948627.00
61.	प्रान्तीय खण्ड, देहरादून	12285563.00
62.	अस्थाई खण्ड, साहिया (कालसी)	6781945.80
63.	अस्थाई खण्ड, चकराता	8348866.00
64.	निर्माण खण्ड, देहरादून	213425.00
65.	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोईवाला	175333.00
66.	निर्माण खण्ड, पोखरी	1070734.00
67.	प्रान्तीय खण्ड, हरिद्वार	10027077.27
68.	विद्युत/यांत्रिक खण्ड, ऋषिकेश	805320.59
69.	अस्थाई खण्ड, ऋषिकेश	8349645.11
70.	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, देहरादून	4248378.19
71.	प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल	2905331.14
72.	निर्माण खण्ड, नैनीताल	28186.00
73.	निर्माण खण्ड, काशीपुर	802718.00
74.	निर्माण खण्ड, खटीमा	3465444.84

75.	निर्माण खण्ड, रामनगर	8359509.00
76.	निर्माण खण्ड, हल्द्वानी	9346447.65
77.	अस्थाई खण्ड, भवाली	2952896.11
78.	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, हल्द्वानी	2020922.60
79.	प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी	6850996.00
80.	प्रान्तीय खण्ड, लैंसडोन	9408212.00
81.	निर्माण खण्ड, दुगड्डा	24974959.00
82.	निर्माण खण्ड, पौड़ी	10356604.00
83.	निर्माण खण्ड, श्रीनगर	3185084.00
84.	निर्माण खण्ड, बैजरो	61830730.00
85.	अस्थाई खण्ड, श्रीनगर	2360231.00
86.	प्रान्तीय खण्ड, पिथौरागढ़	2772653.38
87.	प्रान्तीय खण्ड, डीडीहाट	2605807.61
88.	निर्माण खण्ड, अस्कोट, पिथौरागढ़	24192407.00
89.	विद्युत/यांत्रिक खण्ड, पिथौरागढ़	15399.00
90.	अस्थाई खण्ड, बेरीनाग	46174955.98
91.	प्रान्तीय खण्ड, रूद्रप्रयाग	564592.37
92.	प्रान्तीय खण्ड, नई टिहरी	11612345.00
93.	निर्माण खण्ड, नई टिहरी	991435.57
94.	निर्माण खण्ड, चम्बा	6108101.00
95.	निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर	56113591.00
96.	अस्थाई खण्ड, घनसाली	10459690.00
97.	अस्थाई खण्ड, थत्यूड़	4069492.8
98.	प्रान्तीय खण्ड, रूद्रपुर	4035704.57
99.	प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी	4200080.00
100.	प्रान्तीय खण्ड भटवारी उत्तरकाशी	21386160.00
101.	निर्माण खण्ड, पुरोला	6712202.00
102.	निर्माण खण्ड, उत्तरकाशी	6659738.00
103.	राष्ट्रीय राजमार्ग, बड़कोट	3727273.00
104.	निर्माण खण्ड-2, (एडीबी) देहरादून	1454421.00
105.	निर्माण खण्ड, रूड़की	207106.00
106.	निर्माण खण्ड, बड़कोट	1366854.00
107.	राष्ट्रीय राजमार्ग, लोहाघाट	161529.00
108.	निर्माण खण्ड, कपकोट	24348080.00
109.	राष्ट्रीय राजमार्ग, धूमाकोट	4009796.00
110.	विद्युत/यांत्रिक खण्ड, बाजपुर	210.00
111.	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी), रूद्रपुर	1260240.00
112.	विद्युत/यांत्रिक खण्ड, भीमताल	11034.00
113.	राष्ट्रीय राजमार्ग, रानीखेत	954838.00
114.	निर्माण खण्ड, पॉबो	424190.00
115.	राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर	295028.00
116.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गैरसैण	4474868.00

117.	निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0) किर्तिनगर	428116
118.	ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोडा	72386.00
119.	ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली	1367556.36
120.	ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून	144249.00
121.	ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल	1019292.86
122.	ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी	1227564.00
123.	ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़	895731.00
124.	ग्रामीण निर्माण विभाग, टिहरी	53854.16
125.	ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	-43588.00

**अनुलग्नक-9**  
**(प्रस्तर-1, भाग-2 के सन्दर्भ में)**

अभियन्त्रण विभागों के प्रखण्डों/कार्यालयों का नाम जिनके वर्ष 2018-19 में जारी हुए लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर दिनांक 31.03.2019 तक अप्राप्त प्रथम उत्तर का विवरण:-

क्र० सं०	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	खण्ड का नाम
1.	1/2018-19	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
2.	2/2018-19	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
3.	4/2018-19	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, स्तर-2 उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल
4.	5/2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रुद्रप्रयाग
5.	6/2018-19	अधिशारी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बाजपुर
6.	8/2018-19	मुख्य अभियन्ता,, स्तर-2 लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा
7.	11/2018-19	अधिशारी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड,लोक निर्माण विभाग, भवाली
8.	13/2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा
9.	14/2018-19	अधिशारी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी
10.	15/2018-19	अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड केदारनाथ जिला-रुद्रप्रयाग
11.	16/2018-19	अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रुद्रप्रयाग
12.	19/2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल
13.	20/2018-19	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2(ADB) लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा
14.	21/2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, हल्द्वानी
15.	22/2018-19	अधिशारी अभियन्ता, नलकूप मण्डल, हल्द्वानी
16.	23/2018-19	अधिशारी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा
17.	24/2018-19	अधिशारी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
18.	26/2018-19	अधिशारी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
19.	27/2018-19	अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, दुग्डडा, पौड़ी गढ़वाल
20.	28/2018-19	निदेशक (PMU) ए0डी0बी0 (Transport)लोक निर्माण विभाग, देहरादून

21.	33 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, सिंचाई विभाग, देहरादून
22.	34 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून (डोईवाला)
23.	35 / 2018-19	मुख्य अभियन्ता,, स्तर-1 क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून
24.	39 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, टिहरी
25.	40 / 2018-19	कार्यालय अधिशारी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
26.	41 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग रुड़की
27.	42 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून (डोईवाला)
28.	43 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, सिंचाई विभाग रुड़की
29.	44 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, स्थापना खण्ड, सिंचाई विभाग रुड़की
30.	46 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, नलकूप खण्ड रामनगर
31.	47 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/ए0डी0बी0 लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर
32.	48 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर
33.	49 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अल्मोडा
34.	50 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, लघुडाल खण्ड, अल्मोडा
35.	52 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार
36.	53 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर
37.	54 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट
38.	55 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी
39.	56 / 2018-19	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी
40.	57 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, 7वां वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर
41.	58 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी
42.	59 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, छठौं वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी
43.	60 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला
44.	61 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़
45.	63 / 2018-19	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) सिंचाई विभाग हल्द्वानी
46.	64 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उद्यमसिंह नगर
47.	65 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर (चमोली)

48.	66 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग
49.	67 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, धारचूला
50.	68 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी
51.	70 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड
52.	73 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, हल्द्वानी
53.	74 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी
54.	75 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून
55.	76 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोडा
56.	77 / 2018-19	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 सिंचाई विभाग, अल्मोडा
57.	78 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गैरसैण
58.	79 / 2018-19	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ
59.	80 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, थराली
60.	81 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, 3वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ
61.	82 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोडा
62.	83 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर
63.	84 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, काशीपुर
64.	85 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर
65.	86 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, डीडीहाट, पिथौरागढ
66.	87 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार
67.	88 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, 8वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी
68.	89 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा (टिहरी)
69.	90 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग
70.	91 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बागेश्वर
71.	92 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार
72.	93 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुडकी
73.	95 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ
74.	96 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रामनगर
75.	97 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर

76.	98 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली
77.	99 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, 9वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
78.	100 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल
79.	101 / 2018-19	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 लोक निर्माण विभाग, पौड़ी
80.	102 / 2018-19	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी
81.	103 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून
82.	104 / 2018-19	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, देहरादून
83.	105 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला, उत्तरकाशी
84.	106 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी
85.	107 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, 4वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर
86.	108 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश
87.	109 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, ए.डी.बी. वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ
88.	110 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी
89.	111 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(ए.डी.बी.), लो0नि0वि0, पिथौरागढ
90.	112 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट, उत्तरकाशी
91.	113 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग
92.	114 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर, उधम सिंह नगर
93.	115 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर
94.	116 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी
95.	118 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून
96.	119 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा
97.	120 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर
98.	121 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, चंपावत
99.	123 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत
100.	124 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, 2वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल
101.	127 / 2018-19	अधिशारी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया, देहरादून

102.	130 / 2018-19	अधिशाली अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चंपावत
103.	132 / 2018-19	अधिशाली अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग
104.	133 / 2018-19	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उखीमठ, रुद्रप्रयाग
105.	134 / 2018-19	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट
106.	135 / 2018-19	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अंबाडी, कालसी
107.	136 / 2018-19	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर, नैनीताल
108.	140 / 2018-19	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट, पिथौरागढ़
109.	144 / 2018-19	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा

अनुलग्नक-10  
(प्रस्तर-2, भाग-2 के सन्दर्भ में)

स्थानीय निरीक्षण (लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19) के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण अनियमितताएं:-

क्र० सं०	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	खण्ड का नाम	महत्वपूर्ण अनियमितता	धनराशि
1.	2/2018-19	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	1. अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली न किया जाना। 2. कार्य पर निरर्थक व्यय।	80.00 लाख 70.34 लाख
2.	18/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा	1. मार्ग सुदृढीकरण कार्य पर अधिक मात्रा में SDBC का प्रयोग होने के कारण व्यायाधिक्य।	106.00 लाख
3.	20/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 ए०डी०बी०, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	1. वित्तीय नियमों की अवहेलना कर बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्य करना एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए परिहार्य व्यय। 2. उच्चाधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए व्यायाधिक्य।	729.00 लाख 289.00 लाख
4.	25/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल	1. संविदाकारों को जी०एस०टी० अधिनियम के विपरीत एस०जी०एस०टी० का अधिक भुगतान।	18.45 लाख
5.	27/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल	1. संविदाकारों को जी०एस०टी० अधिनियम के विपरीत एस०जी०एस०टी० एवं सी०जी०एस०टी० का अधिक भुगतान।	19.96 लाख
6.	28/2018-19	निदेशक (PMU), ए०डी०बी० (Transport), लोक निर्माण विभाग, देहरादून	1. श्रमिक उपकरण की वसूली न किया जाना।	68.47 लाख
7.	33/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, नलकूप खण्ड, सिंचाई विभाग, देहरादून।	1. नलकूप निर्माण पर निष्फल व्यय।	58.23 लाख
8.	34/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून (डोईवाला)	1. प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के मानकों के विपरीत कार्य करने के कारण निरर्थक व्यय।	155.00 लाख

9.	39 / 2018-19	अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग टिहरी।	1. नियमों के अनुरूप कार्य न करने के कारण अतिरिक्त व्यय।	76.19 लाख
10.	42 / 2018-19	अधिशायी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून (डोईवाला)	1. रायल्टी के रूप में राजस्व की हानि।	113.00 लाख
11.	47 / 2018-19	अधिशायी अभियन्ता निर्माण खण्ड/ए0डी0बी0 लोक निर्माण विभाग रुद्रपुर	1. 1.80 लाख का परिहार्य व्यय एवं 16.79 लाख का अनियमित व्यय 2. राजस्व की हानि। 3. राजस्व(रायल्टी) की हानि। 4. धनराशि का अधिक व्यय।	196.79 लाख 40.95 लाख 322.00 लाख 54.12 लाख
12.	54 / 2018-19	अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट।	1. लोहे वैली ब्रिज के पार्ट्स का निष्प्रयोज्य पड़े रहना।	32.00 लाख
13.	69 / 2018-19	अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड सिंचाई विभाग, सितारगंज। (उधम सिंह नगर)	1. धनराशि का संदिग्ध आहरण। 2. कय सामग्री प्राप्त किए बिना ही फर्म को भुगतान किया जाना। 3. धनराशि का अधिक भुगतान कोटेशन प्राप्त फर्म अधिक दरे अनुमोदित करके किया जाना।	69.61 लाख 119.00 लाख 143.00 लाख
14.	74 / 2018-19	अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	1. समान कार्य हेतु दोहरे अनुबंध गठित कर भुगतान करने के कारण शासकीय हानि।	60.84 लाख
15.	86 / 2018-19	अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट, पिथौरागढ़।	1. कार्य में देरी के लिए 1.12 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित कर न वसूल किया जाना एवं कार्य पर 914.00 लाख का व्यय करने के बावजूद 4 वर्ष बाद भी कार्य पूर्ण न किया जाना।	112.00 लाख + 914.00 लाख
16.	87 / 2018-19	अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार	1. पुल हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण न होने से पुल निर्माण पर व्यय धनराशि निष्फल रहनां	744.00 लाख
17.	84 / 2018-19	अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, काशीपुर	1. महुआटोडा गंज एवं मुंडिया कला में निरीक्षण भवनों के निर्माण पर संतुत लागत से अधिक व्यय एवं अतिरिक्त दायित्यों का सृजन।	473.26 लाख
18.	89 / 2018-19	कार्यालय अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा, टिहरी	1. अद्धोमानक मार्ग निर्माण।	183.57 लाख

19.	96 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रामनगर	1. संविदाकारों को जी0एस0टी अधिनियम के विपरीत एस0जी0एस0टी का अधिक भुगतान।	51.32 लाख
20.	94 / 2018-19	कार्यालय अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, (ए0डी0बी0) लोक निर्माण विभाग, चम्बा, बागेश्वर	1. नष्टवान सामग्री पर सुरक्षित अग्रिम (मेअेरियल एडवांस) का भुगतान कर ठेकेदार को अदेय लाभ दिया जाना तथा अग्रिम की धनराशि की वसूली लंबित रहना।	120.00 लाख
21.	95 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।	1. कार्य पर धनराशि का अधिक व्यय।	126.52 लाख
22.	98 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली।	1. रोड कटिंग चार्ज के रूप में प्राप्त धनराशि को अनियमित व्यय किया जाना।	65.25 लाख
23.	97 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर	1. वित्तीय प्रावधानों की अनदेखी के परिणामस्वरूप मुनिकीरेती में किये गए व्यय का निष्फल सिद्ध होना। 2. नरेन्द्रनगर रानीपोखरी मोटर मार्ग के जीएसबी सतह निर्माण में परिहार्य व्यय। 3. स्वीकृति से इतर आधे-अधूरे लंबाई के मार्ग निर्माण पर निष्फल व्यय।	3545.00 लाख 124.03 लाख 65.82 लाख
24.	113 / 2018-19	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग	1. बिना स्वीकृतियों के रु0 25.38 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यो के निष्पादन को अनुमत्य किया जाना।	2538 लाख
25.	111 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0) लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़	1.वाणिज्य कर की कटौती किए बिना ही संविदाकार फर्म को संविदा की धनराशि का भुगतान किया जाना। 2.रायल्टी की वसूली संविदाकार से न किया जाना।	199.00 लाख 42.23 लाख
26.	132 / 2018-19	अधिकासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग	1. अनियमित निविदा प्रणाली तथा तकनीकी विशिष्टि के विरुद्ध महंगे प्राइम कोट का प्रयोग परिहार्य व्यय। 2. परिहार्य व्यय एवं ठेकेदार को अधिक भुगतान।	112.00 लाख 54.81 लाख

27.	112 / 2018-19	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी	1. नौगाव-पाटी-राजगड़ी मोटर मार्ग हेतु भूमि प्रतिकर का अनियमित भुगतान।	83.50 लाख
28.	133 / 2018-19	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, उखीमठ (रुद्रप्रयाग)	1. अपूर्ण छोड़े गए एक सड़क निर्माण कार्य के लिये ठेकेदार पर 20.36 लाख अर्थदण्ड न लगाया जाना एवं 11.66 लाख के अधोमानक बिटुमिन कार्यों को स्वीकार कर भुगतान किया जाना।	20.36+11.66 लाख
29.	140 / 2018-19	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, असकोट, पिथौरागढ़	1. रायल्टी की कम वसूली के संबंध में।	60.97 लाख
30.	130 / 2018-19	अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, चम्पावत	1. वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के विपरीत कार्य कराया जाना।	1297.00 लाख

**अनुलग्नक-11**  
(प्रस्तर-2, भाग-2 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लोक निर्माण एवं ग्रामीण, सिंचाई तथा लघु सिंचाई विभागों की केन्द्रीय लेखा परीक्षा के दौरान मासिक लेखाओं में पायी गयी अनियमिततायें:-

क्रम सं०	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा आपत्ति	धनराशि रू. में
<b>माह अप्रैल 2018</b>			
01	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग देहरादून	रु 199644 /-के व्यय पर भुगतान 15 महीने विलम्ब से किया गया। <b>मैमो सं० - 01</b>	199644 /-
02	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग उधमसिंह नगर	कार्य के भुगतान का विलम्ब से किये जाने के संबंध में। <b>मैमो सं० -02</b>	14085 /-
03	-do-	कक्षा के निर्माण कार्य के व्यय को उक्त कार्यो पर किस कारण भारित किया। <b>मैमो सं०- 03</b>	19085 /-
04	-do-	कार्य का भुगतान विलम्ब से किये जाने का कारण। <b>मैमो सं०- 04</b>	972819 /-
05	-do-	-do- <b>मैमो सं० - 05</b>	75838 /-
06	-do-	कक्षा के निर्माण कार्य के व्यय को उक्त कार्य पर किस किस कारण भारित। <b>मैमो सं०- 06</b>	12327 /-
07	अधिशाली अभियन्ता, लो०नि०वि०, नई टिहरी	उपर्युक्त दोनो भारित राशि एवं 09 कार्य कुल एक ही वावचर में क्यों दर्शाये गये। <b>मैमो - 07</b>	91030 /-
08	-do-	कार्य का भुगतान विलम्ब से किये जाने का कारण। <b>मैमो - 08</b>	-
<b>माह मई, 2018</b>			
09	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, अल्मोडा	क्या कार्य की समय सीमा में वृद्धि की गयी। यदि हाँ Extension letter की छाया प्रति प्रेषित करें। <b>मैमो सं० - 14</b>	200000 /-
10	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई कार्यशाला, रुड़की	व्यय वर्दी कय, आक्सीजन गैस सिलेन्डर, LED light किस आधार पर किया साक्ष्य स्पष्ट करें। <b>मैमो सं० - 15</b>	149784 /-
11	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	ठेकेदार का भुगतान विलम्ब से करने का कारण। <b>मैमो - 16</b>	14594 /-

12	-do-	कार्य का भुगतान महीने के बाद करने के कारण <b>मैमो सं०- 17</b>	19620 / -
13	-do-	शीर्ष 8443 पर कार्य व्यय डीजल भरवाने के लिए किस आधार पर। <b>मैमो सं०- 18</b>	2619 / - 3022 / -
14	-do-	भुगतान किस वित्तीय वर्ष के CCL से हुआ। साक्ष्यों के साथ स्पष्ट करे। <b>मैमो सं० - 19</b>	19815 / -
15	-do-	शीर्ष 8443 पर कार्य व्यय डीजल भरवाने के लिए किस आधार पर भारित किया गया। <b>मैमो सं०- 20</b>	3465 / -
16	सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, गोपेश्वर (चमोली)	वाउचर में कार्य प्रारम्भ तिथि एवं due date of completion of work अंकित नहीं है। <b>मैमो सं०- 21</b>	-
17	-do-	कार्य की माप 2-1/2 वर्षों के उपरान्त किये जाने के कारणों से अवगत कराये। <b>मैमो सं० -22</b>	272882 / -
18	अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० हल्द्वानी	कम्प्यूटर सामग्री पर व्यय रु 44500 / - को उक्त कार्य पर किस कारण भारित किया। <b>मैमो सं० - 23</b>	44500 / -
19	-do-	कार्य का भुगतान विलम्ब से (3 वर्ष बाद) करने के कारण। <b>मैमो सं०- 24</b>	2073032 / -
20	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० हल्द्वानी (नैनीताल)	वाउचर में due date of completion of work अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट नहीं कि कार्य कब समाप्त होना था। <b>मैमो - 25</b>	558472 / -
<b>माह जून, 2018</b>			
21	अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, चमोली	धनराशि पर income tax 1% की दर से की जा रही है जबकि 2% की दर से की जाने थे। <b>मैमो-33</b>	344387 / -
22	अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी, गढ़वाल	किन कारणों से निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त राशि को वेतन कम्प्यूटर आदि हेतु रु 255025 / - धनराशि खर्च की गयी। <b>मैमो सं०-46</b>	255025 / -

23	-do-	क्या डाकेट सं.-06 एवं 09 में दर्शाये गए कार्य वाउचरों में दर्शाये गये कार्यों से अलग है अथवा समान है। स्थिति स्पष्ट करें। <b>मैमो सं0-45</b>	141076 / -
24	अधिशायी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अस्थाई प्रखण्ड, डीडीहाट	क्या उपरोक्त बिलों पर GST की कटौती नहीं की जानी चाहिए थी जो कि ठेकेदार के बिल से 12%, 18% होनी चाहिए थी। <b>मैमो सं0-44</b>	247096 / -
25	अधिशायी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर गढ़वाल	बिन्दु सं03 में डाकेट सं0 10 में दर्शाये गये कार्य running A/c bill में दर्शाये गये कार्य से भिन्न होने के कारण। <b>मैमो सं0-43</b>	8696 / -
26	-do-	क्या सक्षम अधिकारी के उपरोक्त कार्य हेतु प्रशासनिक / तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गयी <b>मैमो सं0 - 42</b>	159455 / -
27	अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी	क्या उक्त कार्य हेतु प्रशासनिक / तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त की गयी <b>मैमो सं0- 41</b>	92785 / -
28	अधिशायी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर गढ़वाल	बिन्दु सं0 01 से 03 में डाकेट में दर्शाये गये कार्यों के भिन्न कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेशनरी व्यय का कारण। <b>मैमो सं0-40</b>	466642 / -
<b>जुलाई, 2018</b>			
29	अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट, (चम्पावत)	क्या लैपटाप लेने की permission ली गयी थी। यदि हाँ तो साक्ष्य उपलब्ध करें। <b>मैमो सं0- 47</b>	81700 / -
30	अधिशायी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)	2 वर्ष विलम्ब से भुगतान करने के कारण <b>मैमो सं0- 48</b>	119753 / -
31	-do-	1 वर्ष 8 माह विलम्ब से भुगतान करने के कारण <b>मैमो सं0- 49</b>	11224 / -
32	-do-	4 वर्ष विलम्ब से भुगतान करने के कारण <b>मैमो सं0- 50</b>	94500 / -
33	-do-	2 वर्ष से अधिक विलम्ब से भुगतान करने के कारण <b>मैमो सं0- 51</b>	93713 / -

34	-do-	भुगतान 7 वर्ष विलम्ब से किये जाने के कारण <b>मैमो सं०- 52</b>	31462 / -
35	-do-	शीर्ष 4700 stock पर skilled driver कार्य को कैसे भारित किया। <b>मैमो सं०- 53</b>	11224 / - 11712 / - 11224 / -
36	-do-	समग्री 28 / 11 / 16 में क्रय करने के पश्चात भुगतान 1 वर्ष 4 माह विलम्ब से करने का कारण <b>मैमो सं०- 54</b>	656250 / -
37	अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० नैनीताल	किन कारणों से अनुमोदित धनराशि स्टेशनरी कम्प्यूटर सामग्री कार्यो पर किया गया <b>मैमो - 55</b>	309613 / -
38	- do -	शेड्यूल डॉकेट 24 पुल्ड आवास पाईब्स कार्य हेतु वाउचर 53 से रू० 426000 / - का भुगतान भ्दक त्मबमपचज से करने के कारण <b>मैमो - 56</b>	426000 / -
39	अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० गोपेश्वर (चमोली)	इकाई द्वारा अनुमोदित राशि को विपरीत कार्य Electronic सामग्री क्रय करने के कारण से व्यय किया गया <b>मैमो - 57</b>	22319 / -
40	-do-	किन कारणों से ईकाई द्वारा Hand Receipt के माध्यम से भुगतान किया <b>मैमो - 58</b>	76010 / -
41	अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० नैनीताल	Final Bill में दर्शायी गयी गणना शेड्यूल डॉकेट में दर्शायी गयी धनराशि से विपरीत प्रतीत होती है। <b>मैमो - 59</b>	739655 / -
42	- do -	वाउचर सं० 02 के माध्यम से रू० 97000 का भुगतान किया गया जो कि वाउचर सं० 14 के साथ संलग्न बताया गया परन्तु उक्त धनराशि का वाउचर मासिक लेखे के साथ संलग्न नहीं पाया गया। <b>मैमो - 60</b>	97000 / -
<b>अगस्त, 2018</b>			
43	अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग	ईकाई द्वारा उपर्युक्त धनराशि को विपरीत कार्य हेतु किन कारण से व्यय किया गया। <b>मैमो - 68</b>	232918 / -

44	- do -	किन कारणों से उपरोक्त कार्य में विलम्ब हुआ हो जो 12 वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं हुआ। <b>मैमो - 69</b>	128000 / -
45	अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून	कार्य 30.01.15 को समाप्त हो चुका था, भुगतान 3वर्ष 11माह बाद क्यों किया गया। <b>मैमो - 70</b>	537803 / -
46	-do-	कार्य का भुगतान विलम्ब से किये जाने के कारण। <b>मैमो - 71</b>	80273 / -
47	-do-	- do - <b>मैमो - 72</b>	4163486 / -
48	-do-	Form 28 Running Bill में कार्य की भिन्नता का स्पष्टीकरण। <b>मैमो - 73</b>	1300000 / -
49	-do-	Schedule Docket o Running Bill के कार्य की भिन्नता को स्पष्ट करें। <b>मैमो - 74</b>	189906 / -
50	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई शोध संस्थान, रूडकी	उक्त भुगतानों के उद्देश्य न दर्शाया गया। साक्ष्य उपलब्ध करायें। <b>मैमो - 85</b>	18880 / -
51	-do-	किन कारणों से अभी तक उक्त राशि का समायोजन नहीं किया। <b>मैमो - 86</b>	-
52	-do-	किन कारणों से सामान की दर में अंतर आया चूंकि ईकाई से अपेक्षा की जाती है कि वह L -1 निर्धारित राशि से कार्यों का निष्पादन कराये। <b>मैमो - 87</b>	3200 / -
53	-do-	अतः उपरोक्त पर लेखापरीक्षा को अवगत कराये कि क्या उपरोक्त व्यय इसी मद हेतु अनुमोदित थे अथवा नहीं। <b>मैमो - 88</b>	77714 / -
54	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, विकासनगर, डाकपत्थर, देहरादून	दर्शाये गये कार्य के निष्पादन हेतु फर्म/ठेकेदार के चुनाव इस प्रकार किये गये साथ ही क्या निविदा इत्यादि विधियों द्वारा कार्य सौंपे गये। <b>मैमो - 90</b>	211247 / -

55	-do-	उल्लेखित धनराशियों को विपरीत मदों पर खर्च किया गया। <b>मैमो – 89</b>	466977 / -
56	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूडकी	क्या उक्त कार्यों पर व्यय नाबार्ड से संबंधित कार्यों का भाग है अथवा नहीं। <b>मैमो – 91</b>	41173 / -
<b>सितम्बर, 2018</b>			
57	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौडी गढवाल	सिमतोली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य पर व्यय रू0 34500 को कम्प्यूटर ऑपरेटर के मानदेय भुगतान पर भारित करने के कारण। <b>मैमो – 92</b>	34500 / -
58	-do-	रू0 30000 एवं 20855 के व्यय को साउण्ड सिस्टम व स्टेशनरी पर भारित करने के संबंध में। <b>मैमो – 93</b>	50855 / -
59	-do-	अपूर्ण जानकारी के व्यय प्रस्तुत वाउचर का भुगतान करने के कारण <b>मैमो – 94</b>	797738 / -
60	-do-	कार्य के भुगतान का विलम्ब से किये जाने के संबंध में आख्या प्रस्तुत करें। <b>मैमो – 95</b>	191798 / -
61	-do-	विभिन्न कार्यों पर किये भुगतान को Deposit Part-II पर भारित करने के कारण। <b>मैमो – 96</b>	555002 / -
62	अधिकासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड घनसाली, टिहरी गढवाल	कार्य का भुगतान विलम्ब से करने के कारण तथा भुगतान किस वित्तीय वर्ष के CCL से किया गया। <b>मैमो – 97</b>	185588 / -
63	-do-	अपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत बिल का भुगतान किस आधार पर किया। <b>मैमो – 98</b>	187539 / -
64	अधिकासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पौडी	कार्य के भुगतान को विलम्ब से किये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा की स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत करें। <b>मैमो – 99</b>	512711 / -

65	-do-	-do- मैमो - 100	392708 / -
66	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रामनगर	किन कारणों से निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त राशि को डीजल/पैट्रोल आदि पर राशि रू0 15833 व्यय की गयी। मैमो - 101	15833 / -
67	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रामनगर	किन कारणों से Flood protect on scheme of Tera Nala कार्य हेतु प्रदत्त राशि को डीजल/पैट्रोल आदि पर रू0 7394 व्यय की गयी। मैमो - 102	7394 / -
68	-do-	GSTIN No. registered नहीं किये जाने के कारण मैमो - 103	17208 / -
69	-do-	निर्माण कार्य के मद में स्टेशनरी की सामग्री पर किस प्रकार व्यय किया गया। मैमो - 104	23080 / -
70	-do-	रू0 9136 का व्यय निर्माण कार्य के मद में न व्यय कर डीजल/पैट्रोल पर व्यय करने के कारणों से अवगत करायें। मैमो - 105	9136 / -
71	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी)	कृपया अवगत करायें की सुरक्षा कार्य के मद से किस प्रकार प्रिंटर इत्यादि क्रय करने पर किया गया। मैमो - 108	13100 / -
72	अधिशाली अभियन्ता, परियोजना खण्ड, AIIMS गेट नं0 1, वीरभद्र रोड, ऋषिकेश	किन कारणों से रू0 28734 का व्यय कार्य निर्माण मद से Station क्रय करने पर किया। मैमो - 107	28734 / -
73		किन कारण रू0 4454 कर व्यय विभाग द्वारा डेब पर व्यय कर दिया गया।	4454 / -
<b>अक्टूबर 2018</b>			
74	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोडा (रानीखेत)	शीर्ष 2700 Gagas Barrage DPR कार्य पर प्रिंटर क्राय पर रू0 122500 व 4378 के माध्यम से भारित करने के कारण मैमो - 114	122500 / - 4378 / -

75	अधिशायसी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत	रू0 1024001 के व्यय पर भारित कार्य का समापन जनवरी 2017 में हो गया था परन्तु कार्य का भुगतान करने के कारण। <b>मैमो – 115</b>	1024001 / -
76	अधिशायसी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, रामनगर, नैनीताल	क्या उक्त व्यय को लेखाशीर्ष 4700 पर भारित करने हेतु किसी अधिकारी से स्वीकृति ली गयी थी। छायाप्रति उपलब्ध कराये। <b>मैमो – 116</b>	23422 / -
77	अधिशायसी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, दुगड्डा (गढ़वाल)	कार्य का भुगतान विलम्ब से (2 वर्षों) से करने के कारण <b>मैमो – 117</b>	344005 / -
78	-do-	रू0 13232 का व्यय Publication व Xerox Machine क्रय पर किया गया उसे मालन फीडर की मालन नदी से सुरक्षा योजना पर किस प्रकार भारित किया। <b>मैमो – 118</b>	13232 / - 39052 / -
79	-do-	रू 34500 का व्यय सनउपदवने इंजमतल त् 18000 मडल बनजा देवी नाबार्ड कार्य के अर्न्तगत किस प्रकार व्यय किया	34550 / -
80	अधिशायसी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नैनीताल	प्रपत्र 73 Stock Account में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक दर्शाया गया है जो कि नही होना चाहिए। <b>मैमो – 120</b>	-
81	-do-	अपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत वावचर का भुगतानकरने के कारण <b>मैमो – 121</b>	-
82	अधिशायसी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, कोटद्वार	दोनो वाउचरों का योग 49518 दिया जो उचित प्रतीत नही होता चुंकि दोनो का योग 49072 है। <b>मैमो – 122</b>	49072 / -
83	-do-	2 वर्ष 5 माह बाद भी कार्य अपूर्ण रहने के कारण। क्या ठेकेदार पर कोई आर्थिक दण्ड लगाया गया। <b>मैमो – 123</b>	930922 / -
84	-do-	किन कारणों से Hand Receipt के माध्यम से भुगतान किया। व्यय संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति की प्रति उपलब्ध कराये। <b>मैमो – 124</b>	90000 / -

85	-do-	अपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत वाउचर का भुगतान करने के कारण। <b>मैमो – 125</b>	231756 / -
86	अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाडी (उत्तरकाशी)	ईकाई द्वारा लो0नि0वि0 के उच्चिकरण कार्य हेतु अनुमोदित राशि को उक्त सामग्री LED बल्ब, Tube पर किन कारण से व्यय किया। <b>मैमो – 126</b>	48560 / -
87	अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाडी (उत्तरकाशी)	धनराशि रू0 1303751 का भुगतान Hand Receipt के माध्यम से देने के कारण। <b>मैमो – 127</b>	1303751 / - 2248385 / -
88	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गुप्तकाशी (रूद्रप्रयाग)	Deposit work के व्यय को प्रपत्र 65 में न दर्शाकर प्रपत्र 64 में दर्शाये जाने के कारण। <b>मैमो – 128</b>	-
89	-do-	अपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत वाउचर का भुगतान करने के कारण। <b>मैमो – 129</b>	-
90	-do-	केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग के निर्माण कार्य के भुगतान को बर्तन, टोनर ऑपरेटर, कम्प्यूटर आपरेटर पर भारित करने के कारण। <b>मैमो – 130</b>	57660 / - 249600 / - 336536 / -
91		Schedule Docket PWA Form 61 में अंकित धनराशि में भिन्नता है। <b>मैमो – 131</b>	-
<b>माह नवम्बर 2018</b>			
92	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल	रू0 45000 / - धनराशि की डाकेट में उल्लेख नहीं है। <b>मैमो – 138</b>	45000 / -
93	-do-	कार्यो पर किये भुगतान को रूद्रक त्मबमपचज के माध्यम से भारित करके से संबंधित अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत करें। <b>मैमो – 139</b>	146658 / -
94	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोडा	2 वर्ष बाद भी कार्य अपूर्ण रहने के कारण। <b>मैमो – 140</b>	-
95	-do-	स्टाक लेखा में अंतिम अवशेष ऋणात्मक दर्शाये जाने के कारण <b>मैमो – 141</b>	-

96	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रूडकी	अपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत वाउचरों का भुगतान किस आधार पर किया। <b>मैमो – 142</b>	1500000 /—
97	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पौडी	किस आधार पर अपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत वाउचरों का भुगतान किया <b>मैमो – 143</b>	374422 /—
98	-do-	-do- <b>मैमो – 144</b>	—
99	-do-	लेखाशीर्ष मु0अभि0 कार्यालय कंटेजेंसी के अन्तर्गत रू0 39900 /— का व्यय वाहन स्वामी के वाहन के 30 दिन के लिए किराये के भुगतान हेतु भारित किया। <b>मैमो – 145</b>	81130 /—
100	-do-	स्टेशनरी का क्रय किस कार्य हेतु किया गया है। <b>मैमो – 146</b>	49705 /—
101	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल	अपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत बिल का भुगतान किस आधार पर किया। <b>मैमो – 147</b>	1130704 /—
102	अधिशाली अभियन्ता, सी0डी0-2, लो0नि0वि0, गोपेश्वर, चमोली	कार्य का भुगतान एक वर्ष बाद किये जाने का क्या कारण। <b>मैमो – 148</b>	—
103	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	कार्य समाप्ति तिथि के पश्चात् भी कार्य प्रगति पर है तो क्या विभाग द्वारा Estimate एवं Extn वृद्धि की गयी छायाप्रति प्रेषित करें। <b>मैमो – 149</b>	227296 /—
104	-do-	कार्य समय-सीमा से पूर्ण न करने पर क्या ठेकेदार पर कोई आर्थिक दण्ड लगाया गया है। <b>मैमो – 150</b>	282620 /—
105	-do-	शीर्ष 4700 पर Toner Machines का व्यय पर भारित करने के कारण। <b>मैमो – 151</b>	7500 /—

106	-do-	Hand Receipt के साथ कार्य से संबंधित स्वीकृति आदेश की छायाप्रति संलग्न न करने के कारण। <b>मैमो – 152</b>	161612 / -
107	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	क्या उक्त कार्यो पर शजरा शीट बनाये जाने के लिए कपडा क्रय का व्यय नाबार्ड के अन्तर्गत किया जा सकता है। यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति प्रेषित करें। <b>मैमो – 153</b>	91778 / -
108	-do-	कार्य 23.10.17 को पूर्ण होने के पश्चात् भुगतान 1 वर्ष बाद किये जाने का कारण। <b>मैमो – 154</b>	81705 / -
<b>माह दिसम्बर 2018</b>			
109	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर गढवाल	कार्य की माप कार्य समाप्ति के पहले करने के कारण। <b>मैमो – 159</b>	585594 / -
110	-do-	धनराशि, डीजल आपूर्ति को फर्म सं0 28 के माध्यम से देने के कारण। <b>मैमो – 160</b>	463255 / -
111	-do-	कार्य के भुगतान विलम्ब से करने के कारण। <b>मैमो – 161</b>	465364 / -
112	अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	कार्य की माप कार्य समाप्ति के पहले करने के कारण। <b>मैमो – 162</b>	363156 / -
113	-do-	बिन्दु सं0 01 एवं 03 मे कार्य का विलम्ब से भुगतान किये जाने के कारण। <b>मैमो – 163</b>	409328 / -
114	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई विभाग, नलकूप खण्ड, रुडकी	कार्य का विलम्ब से भुगतान किये जाने के कारण। <b>मैमो – 164</b>	77653 / -
115	वरि0 प्रभागीय लेखाधिकारी, नलकूप खण्ड, रुडकी	नलकूपो पर कराये जाने कार्य का फार्म सं0 28 के माध्यम से देने के कारण से अवगत कराये। <b>मैमो – 165</b>	1060000 / -

116	उप-निदेशक (प्रशासन) प्रशिक्षण परियोजना (कुमाँऊ) रूडकी, हरिद्वार	प्रशिक्षण से संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति संलग्न करें। <b>मैमो - 166</b>	64500 / -
117	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून।	Stock Account में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक दर्शाया जाने के संबंध में अवगत कराये। <b>मैमो - 167</b>	-
118	-do-	वाउचर 57 से 110 तक के कार्यों की भिन्नता का स्पष्टीकरण करें। <b>मैमो - 168</b>	25231 / -
119	अधिकासी अभियन्ता, अवस्थापना (पुन0/खण्ड) ऋषिकेश	मनसा देवी के कार्य पर भारित राशि को ऋषिकेश पंजम पर भारित किये जाने के कारण। <b>मैमो - 169</b>	96969 / -
<b>जनवरी 2019</b>			
120	अधिकासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़	बिल में कार्य आरम्भ, कार्य समाप्ति की तिथि आदि अंकित नहीं है। <b>मैमो - 179</b>	188289 / -
121	-do-	प्रपत्र-73 में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक दर्शाया गया है। <b>मैमो - 180</b>	561661 / -
122	-do-	कार्य का भुगतान 8 माह बाद किस आधार पर किया गया। <b>मैमो - 181</b>	149663 / -
123	-do-	कार्य का भुगतान 2 वर्ष 6 माह बाद करने के कारण स्पष्ट करें।	524428 / -
124	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग	Hand Receipt के माध्यम से भुगतान किया गया। <b>मैमो - 183</b>	180982 / -
125	-do-	कार्य की माप, कार्य समाप्ति के पहले करने के कारणों को स्पष्ट करें। <b>मैमो - 184</b>	370165 / -
126	-do-	अपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत वाउचर का भुगतान करने के कारणों को स्पष्ट करें। <b>मैमो - 185</b>	810292 / -
127	-do-	अनुबन्ध पत्र की छायाप्रति सक्षम अधिकारी के स्वीकृति/आदेश के साथ साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें। <b>मैमो - 186</b>	1374550 / -

128	अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग	प्रपत्र 73 में स्टॉक का अवशेष ऋणात्मक दर्शाया गया है। <b>मैमो - 187</b>	4407693 / -
129	अधिशायी अभियन्ता, स्थापना खण्ड, रूडकी, हरिद्वार	प्रपत्र-73 में प्रारम्भिक अवशेष ऋणात्मक दर्शाया गया है। <b>मैमो - 188</b>	3203463 / -
130	अधिशायी अभियन्ता, स्थापना खण्ड, रूडकी, जनपद-हरिद्वार	वाहनों की लॉग बुक की छायाप्रति प्रेषित करें। <b>मैमो - 189</b>	117826 / -
131	अधिशायी अभियन्ता, अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर, देहरादून	कार्य का भुगतान विलम्ब से किया गया। <b>मैमो - 190</b>	18665 / -
132	-do-	Hand receipt के माध्यम से भुगतान किये जाने के कारण बतायें। <b>मैमो - 191</b>	4680 / - 326816 / -
133	अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	Deposit work के व्यय को प्रपत्र 65 में न दर्शाकर प्रपत्र 64 में दर्शाये जाने के कारणों से अवगत करायें। <b>मैमो - 192</b>	
134	-do-	स्टॉक का अवशेष ऋणात्मक होने के संबंध में अपनी आख्या प्रस्तुत करें। <b>मैमो - 193</b>	348427 / -
<b>मार्च 2019</b>			
135	अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल	मुख्य शीर्ष 2702 हेतु किये गये भुगतान को लेखन सामग्री एवं वाहन को किराये लेने हेतु पर किस कारण भारित किया गया? <b>मैमो - 224</b>	84845 / - 4700 / - 49600 / -
136	अधिशायी अभियन्ता, जल विद्युत खण्ड, बहादुराबाद, हरिद्वार	कार्य समापन की तिथि तक पूर्ण न करने के कारणों से अवगत करायें। <b>मैमो - 223</b>	3075759 / - 22993 / - 61858 / -
137	अधिशायी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	6 वर्षों के लिए दायित्व रखने व विलम्ब से भुगतान करने के कारणों से अवगत करायें। <b>मैमो - 222</b>	3866864 / -
138	अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रपुर (उद्यमसिंहगनगर)	कार्य समय-सीमा में पूर्ण न होने पर क्या ठेकेदार पर विभाग द्वारा कोई आर्थिक दण्ड लगाया गया? <b>मैमो - 219</b>	193000 / - 1374240 / - 3226366 / -

139	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी	अपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत बिल का भुगतान किस आधार पर किया गया? <b>मैमो - 218</b>	4846344 /- 490071 /-
140	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर	भिन्न व्यय को स्टेशनरी इत्यादि पर किस कारण भारित किया गया? <b>मैमो - 217</b>	5041 /- 6000 /- 14090 /- 6400 /- 8200 /-
141	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर, नैनीताल	प्रपत्र-73 में स्टॉक का अवशेष ऋणात्मक दर्शाया गया है कारण स्पष्ट करें <b>मैमो - 216</b>	855074 /-